



टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी

कोलकाता - 700 001

वेबसाइट : <https://teaboard.gov.in>

टेल : 033-2235 1331

ई-मेल : secretary.tbi-wb@gov.in

एक्सटेंशन: 278

संद.सं 6(9)/एलसी/फ्लेवर्ड टी/2020/ 222

दिनांक: 30.08.2022

15.09.2022

सूचना

विषय: अतिरिक्त फ्लेवर्ड चाय (यों) के पंजीकरण एवं वर्तमान फ्लेवर्ड चाय पंजीकरण प्रमाणपत्र में शामिल करने के लिए ऑफलाइन डेटा को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करना

स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11 अक्टूबर 1999 को जारी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 694 (ई)के अनुसार किया गया फ्लेवर्ड चाय के विपणन से पूर्व फ्लेवर्ड चाय निर्माता टी बोर्ड के साथ अपनेआप को पंजीकृत करेंगे। तदनुसार, टी बोर्ड फ्लेवर्ड चाय के विनिर्माताओं को फ्लेवर्ड चाय पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करते रहे हैं।

पोर्टल <https://onlineapps.teaboard.gov.in> के माध्यम से फ्लेवर्ड चाय के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन प्रणाली टी बोर्ड द्वारा पहले ही लागू की जा चुकी है।

फ्लेवर्ड चाय निर्माता जिन्होंने पहले ऑफलाइन मोड के तहत फ्लेवर्ड चाय पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया था और वर्तमान फ्लेवर्ड चाय पंजीकरण प्रमाणपत्र में शामिल करने के लिए अतिरिक्त फ्लेवर्ड चाय के पंजीकरण हेतु आवेदन करने का इरादा रखते हैं, उनसे पोर्टल <https://onlineapps.teaboard.gov.in> पर जाने का अनुरोध किया जाता है।

ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, कृपया नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:

- (i) आवेदक को उपरोक्त ऑनलाइन पोर्टल से हेल्पडेस्क टिकट जुटाना होगा एवं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऑफलाइन डेटा के स्थानांतरण के लिए ऑफलाइन फ्लेवर्ड चाय पंजीकरण प्रमाणपत्र अपलोड करना चाहिए।
- (ii) एक बार ऑफलाइन डेटा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट हो जाने के बाद, ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए टी बोर्ड द्वारा संशोधन लिंक प्रदान/सक्रिय किया जाएगा।
- (iii) आवेदक द्वारा उसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ संशोधन लिंक के माध्यम से आवेदन जमा किया जाना चाहिए और आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाइन किया जाना चाहिए।
- (iv) सिस्टम से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए, आवेदक को हेल्पडेस्क सपोर्ट टीम से फोन (पोर्टल पर संपर्क नंबर उपलब्ध है) या ईमेल पर संपर्क करना चाहिए और हेल्पडेस्क टिकट उठाना चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन के अनुमोदन के उपरांत, यदि योग्य पाया जाता है, तो ऑफ़लाइन मोड के तहत जारी किए गए सभी फ्लेवरों को शामिल करते हुए एक ऑनलाइन संशोधित फ्लेवर्ड पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा। ऑनलाइन संशोधित पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने से पूर्व, ऑफ़लाइन फ्लेवर्ड चाय पंजीकरण प्रमाणपत्र (ऑ), मूल रूप, को रद्द करने के लिए इस कार्यालय को वापस करना होगा।

यदि, फ्लेवर्ड चाय पंजीकरण प्रमाण पत्र रखने वाले आवेदक उपरोक्त चरणों का अनुपालन किए बिना नए /ताज़े के रूप में आवेदन करते पाए जाते हैं, तो उनके आवेदन अस्वीकार किए जा सकते हैं और आवेदन शुल्क की कोई वापसी नहीं होगी।



(डॉ. ऋषिकेश राय)

सचिव

वितरण:

1	सभी चाय उत्पादक संघ	सूचना एवं अनुपालन हेतु
2	सभी क्रेता संघ	
3	सभी निर्यातक संघ	
4	कार्यपालक निदेशक, टी बोर्ड, गुवाहाटी	सूचना हेतु
5	कार्यपालक निदेशक, टी बोर्ड, कुन्नूर	
6	उपनिदेशक, टी बोर्ड, सिलीगुड़ी	
7	उपनिदेशक, टी बोर्ड, जलपाईगुड़ी	
8	प्रभारी, टी बोर्ड, पालमपुर	